रजिस्ट्री सं० डी-(डी)-72 REGISTERED No. D-(D)-72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 95] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, फरवरी 28, 1974/फाल्गुन 9, 1895

No. 95] NEW DELHI, THURSDAY, FEBRUARY 28, 1974/PHALGUNA 9, 1895

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

MINISTRY OF INDUSTRIAL DEVELOPMENT

ORDER

New Delhi, the 28th February, 1974

S.O. 129(E)/15/IDRA/74.—In exercise of the powers conferred by section 15 of the Industries (Development and Regulation) Act, 1951 (65 of 1951) the Central Government hereby makes the following amendment in the Order of the Government of India in the Ministry of Industrial Development No. S.O. 706 (E)/15/IDRA/73 dated the 21st November, 1973, namely:—

In paragraph 2 of the said Order, for the words "within a period of twelve weeks from the date of publication of this Order in the Official Gazette" the words and figures "by the end of March, 1974" shall be substituted.

[No. F. 2/42/72-CUC.]
D. K. SAXENA, Jt. Secy.

औद्योगिक विकास मंत्रालय

आदेश

नई दिल्ली, 28 फरवरी, 74

का० आ० 129(अ)—15/आई० डी० आर० ए०/74.—उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 (1951 का 65) की धारा 15 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार, भारत सरकार के औद्योगिक विकास मंत्रालय के आदेश सं० का० आ० 706 (अ)/15/आई डी आर ए/73 तारीख 31 नवम्बर, 1973 में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात :—

उक्त आदेश के पैरा 2 में "इस आदेश के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से बारह सप्ताह की अवधि के भीतर" शब्दों के स्थान पर "1974 के मार्च के अन्त तक" अंक और शब्द रखे जायेंगे ।

[सं० फा० 2/42/72—सी० यू० सी०]

डी० के० सक्सेना, संयुक्त सचिव ।

PRINTED BY THE MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1974